



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 7 नवम्बर, 2013 / 16 कार्तिक, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 2013

संख्या मुद्रण(बी)10-47/2010 हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(I) अधिसूचना संख्या मुद्रण(बी)2-20/96 तारीख 29-4-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी)

2. **पद(पदों) की संख्या.**—1(एक)

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**—(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान—पे बैंड ₹ 5910-20200/- जमा ₹ 2400/- ग्रेड पे

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—₹ 8310/- (स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रति मास ।

5. **“चयन” पद अथवा ‘अचयन’ पद.**—अचयन पद

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं:—(क) अनिवार्य अहर्ताएं:—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो।

(ii) हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से जिल्दबन्दी के ट्रेड में दो वर्ष का नैशनल ट्रेड या प्रशिक्षु प्रमाण—पत्र रखता हो।

या

सरकारी/अर्ध सरकारी मुद्रणालय या आई0एस0ओ0 का प्रमाण—पत्र रखने वाले निजी मुद्रणालय में बाईंडिंग में पांच वर्ष का अनुभव हो ।

(ख) वांछनीय अहर्ता:—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु—लागू नहीं।

शैक्षिक अहर्ता:—हां जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत स्थानांतरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा:—वेयर हाऊस ऑफ़िसरों (भाण्डागारिकों) तथा बुक बाईंडरों में से, सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण द्वारा, जो दसवीं पास हों या इसके समतुल्य अहर्ता रखते हों तथा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में संगणक, (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त संगणक (कम्प्यूटर)(जिल्दबन्दी) को ₹ 8310/—की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्ति वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 249/— की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 8310/— की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 249/— (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रातिपूर्ति और एल0टी0सी इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष तक अग्रणीत नहीं किया जा सकेगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी) के रूप में.....से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 8310/— प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रातिपूर्ति और एल0टी0सी इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त संगणक (कम्प्यूटर) (जिल्दबन्दी) को उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष तक अग्रणीत नहीं किया जा सकेगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाएं प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेंगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :—

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :—

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Mudran(B)10-47/2010 Dated 29-10-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2013

No. Mudran (B)10-47 / 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer (Binding), Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial

Services), in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification , namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Computer (Binding), Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules,2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Computer (Binding), Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide Notification No: Mudran (B)2-20/96 dated 29-4-2002 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the Rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr.Secretary (P&S).

Annexure”A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPUTER (BINDING) CLASS-III (NONGAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.**—Computer (Binding)
- 2. Number of Post(s).**—1 (One)
- 3. Classification.**—Class-III(Non-Gazetted) (Non –Ministerial-Services)
- 4. Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents*—Pay Band Rs. 5910-20200+ 2400 Grade Pay .
(ii) *Emoluments for contract employees*—Rs. 8310/- P.M (as per details given in Col.15-A.).
- 5. Whether Selection post or Non-Selection post.**—Non –Selection
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that, the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis ;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such ,he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further, that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh subordinate service selection commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—*Essential Qualification(s)*—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/ university.

(ii) Two years National Trade /Apprenticeship Certificate in the trade of Binding from an I.T.I duly recognized by the HP/Central Government .

OR

Five year's experience in Binding from a Government/Semi government Printing Press or ISO ceritifed Private Printing Press.

Desirable Qualification(s)—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s).—Age—Not applicable.

Educational Qualification—Yes, as prescribed in Col. No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 100% by transfer, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By Transfer from amongst the Ware House Operators and Book Binders possessing Matriculation or its equivalent education qualification with

three years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade strictly on the basis of seniority.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the H.P. SSSB Hamirpur/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Computer (Binding) in Department of Printing & Stationery H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis;

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Computer (Binding) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of Rs. 249/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 249 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post)) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the Contract Appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity leave and 10 day's Medical Leave .He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the Contract Appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. . They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure”B”

Form of contract/agreement to be executed between the Computer (Binding) & the Government of Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery (H.P.)

This agreement is made on this.....day of..... in the year
Between.....Sh/Smt.....S/o/D/o Shri R/o
Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Computer (Binding) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Computer (Binding) for a period of one year commencing on day of.....and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8310 /- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Computer (Binding) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Computer (Binding).

Provided that un-availed Casual Leave and Medical can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carry forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Computer (Binding) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS whereof the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

.....

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.....

.....

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

.....

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.....

.....

(Name and full Address)

**In the Court of Dr. Surender Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Salooni- Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Satish Mahajan son of Shri Rattan Chand Mahajan, resident of House No. 37, Baloon Bazar, Dalhousie Cantt., Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

2. Mrs. Geeta Mahajan d/o Shri Pran Nath Mahajan, r/o Waderah Mohalla Pathankot, Punjab, A/P House No. 37, Baloon Bazar, Dalhousie Cantt., Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh
..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Satish Mahajan and Mrs. Geeta Mahajan have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 8th May, 1984 and that they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage, Act 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 14-11-2013. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

SURENDER THAKUR,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Salooni- Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.*

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Roshan Lal s/o Shri Hari Dass, r/o Dagro Kotla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
.. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Roshan Lal s/o Shri Hari Dass, r/o Dagro Kotla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for

correction of date of birth 15-5-1975 in the record of Gram Panchayat Rouri, as his date of birth entered in Gram Panchayat Rouri as 1973, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of date of birth of Shri Roshan Lal in the record of Gram Panchayat Rouri in writing to this office. The objections should reach in this office on or before 18-11-2013 positively otherwise necessary order will be passed to correct his date of birth in the concerned office.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Rohit Vig s/o Shri Shyam Lal, r/o Satish Lodge Kotla Nala, Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Rohit Vig s/o Shri Shyam Lal, r/o Satish Lodge Kotla Nala, Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of his name in the record of M. C. Solan, as his name has entered in M. C. Solan record as Rohit Kumar, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Rohit Vig in the record of M. C. Solan in writing to this office. The objections should reach in this office on or before 18-11-2013 positively otherwise necessary orders will be passed to correct his name in the concerned office.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.
